

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पी.बी. नं.2277,

पालारिवट्टम. पी.ओ., कोच्चिन - 682025

टेलीफोन: 0484-2333610 to 616, 2347965 फैक्स : 0484 - 2341935

अधिसूचना सं. [प्रशासन/नियुक्ति/04/2022-23- 17](#)

संविदा आधार पर परामर्शदाता वित्त की नियुक्ति

संविदा आधार पर परामर्शदाता वित्त के रूप में नियुक्त करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाता वित्त की नियुक्ति स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में की जाएगी। नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी और दो वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। नियुक्ति के विस्तृत निबंधन और शर्तें तथा पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

परामर्शदाता वित्त

1	कार्मिकों की अपेक्षित संख्या	1 (एक).
2	योग्यताएँ	सीए/आईसीडबल्यूए के साथ बी-कॉम स्नातक
3	पारिश्रमिक	प्रति माह 50,000/- रु. (समेकित)
4	स्थान	कोच्ची
5	नियुक्ति की अवधि	एक वर्ष जिसे दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है
6	आयु	40 वर्ष से कम न हो
7	साक्षात्कार का स्थान, तारीख एवं समय	स्थान : स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पी.बी. नं.2277, पालारिवट्टम. पी.ओ., कोच्ची - 682025, केरल, भारत - फोन: 0484 2333610 तारीख व समय यथासमय सूचित किया जाएगा (उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाने वाला फार्मेट संलग्नक - 1 के रूप में संलग्न है)

चयन का तरीका: शोर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों की एक रैंक सूची/पैनल का गठन किया जाएगा और बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार परामर्शदाता वित्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता दो साल की होगी और अतिरिक्त परामर्शदाता वित्त की आवश्यकता हो तो अनुमोदित पैनल से नियुक्त किया जाएगा। पात्र उम्मीदवार दिए गए फार्मेट (संलग्नक - 1 के रूप में संलग्न) में योग्यता एवं अनुभव के समर्थन में संगत दस्तावेजों के साथ **16.08.2022** को या उससे पहले [hrदतप.सब-केर@gov.in](mailto:hردادtप.सब-केर@gov.in) पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का हार्डकॉपी सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को **23.08.2022** को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकती है।

निदेशक(प्रशासन)

तारीख: 01 अगस्त, 2022

उम्मीदवारों को अनुदेश:

1. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उपरोक्त पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
2. उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरी तरह से संविदा आधार पर होगी और किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति से जुड़ी नहीं है और किसी भी स्तर पर नियमित नहीं की जा सकती है।
3. चयनित उम्मीदवार 200/- रू. के स्टैंप पेपर पर एक करार निष्पादित करेगा।
4. उम्मीदवार अपना आवेदन निम्नलिखित क्रम में एक एकल पीडीएफ के रूप में भेज सकते हैं (क) अनुबंध-1 (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (कालक्रमानुसार) (ग) पहचान प्रमाण (घ) अनुभव प्रमाणपत्र, (ङ) संगत दस्तावेज़ यदि कोई है तो।
5. साक्षात्कार के लिए शोर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। साक्षात्कार के स्थान और तारीख यथासमय सूचित किया जाएगा।
6. उम्मीदवारों से सलाह दी जाती है कि स्पाइसेस बोर्ड से संचार प्राप्त करने के लिए वे अपना ई-मेल आई डी और मोबाइल नं. सक्रिय रखें।
7. यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों) को छुपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। यदि चयन के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
8. किसी भी तरह का अनुयाचन अयोग्यता होगी।
9. आयु, योग्यता आदि के संबंध में आवेदकों की पात्रता 16.08.2022 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
10. उम्मीदवारों को, अद्यतन सूचना हेतु बोर्ड की औद्योगिक वेबसाइट www.indianspices.com में सूचना/अवसर पेज जांच करने और किसी तीसरी पार्टी की वेबसाइट पर भरोसा न करने की सलाह दी जाती है।
11. आवेदन, जो सहायक दस्तावेज़ों के साथ अधिसूचना के अनुबंध-1 के अनुसार निर्धारित फॉर्मेट में प्राप्त नहीं होता है, उनपर विचार नहीं किया जाएगा।
12. समाप्ति: स्पाइसेस बोर्ड को एक (1) महीने की पूर्व लिखित सूचना देकर इस संविदा को समाप्त करने का अधिकार है।
13. चयन प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 नयाचार / दिशा-निर्देशों के अनुसार के अनुसार आयोजित की जाएगी।

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता वित्त की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें

1. देय पारिश्रमिक प्रति माह 50,000/- रुपए (नियत) होंगे। एक महीने में प्रदान की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक उत्तरवर्ती महीने में देय होगा।
2. नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी और उनके निष्पादन के आधार पर अपेक्षा के अनुसार आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
3. **परामर्शदाता वित्त**, महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।
4. साक्षात्कार, कार्य में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। फिर भी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करना अपेक्षित है तो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसी ग्रेड के नियमित पदाधिकारी के लिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते

का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।

5. कार्य समय: परामर्शदाता वित्त निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वैसे, अनिवार्य मामलों में, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता है।

6. अवकाश: यथानुपात आधार पर परामर्शदाता वित्त एक कलेंडर वर्ष यथानुपात आधार पर, आठ(08) दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। लिपिक सहायकों को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।

7. स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को परामर्शदाता वित्त के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

8. नियुक्ति की अवधि के दौरान, परामर्शदाता वित्त को बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले बोर्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों के मदों में भाग लेना होगा।

9. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कार्य की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

10. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. नियुक्ति का समापन: स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित स्थितियों में लिपिकीय सहायकों की नियुक्ति समाप्त करेगा:

(क) परामर्शदाता वित्त निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ है;

(ख) कार्य की गुणवत्ता बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है;

(ग) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर उपलब्ध कराने में परामर्शदाता वित्त विफल रहता है

(घ) परामर्शदाता वित्त ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाता है।

नोट: बोर्ड को पास परामर्शदाता वित्त को पंद्रह (15) दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना की सुपुर्दगी के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

निदेशक(प्रशासन)

तारीख: 01 अगस्त, 2022

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता वित्त के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाने वाला फार्मेट

हाल के पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकाएँ

1	आवेदन किया गया पद का नाम	परामर्शदाता वित्त	
2	पूरा नाम (ब्लॉक लेटर में)		
3	पिता/पति का नाम		
4	जन्म तिथि		
5	संपर्क विवरण	मोबाईल नं. /टेलीफोन नं.	
		ई-मेल आईडी	
6	संपर्क के लिए पता		
		पिन कोड	
7	स्थाई पता		
		पिन कोड	

8. पात्रता मानदंड/प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़

क्रमांक	पात्रता मानदंड	विवरण	दस्तावेज़ संलग्न है (हाँ/नहीं)	सत्यापन (केवल कार्यालय)

					प्रयोजन के लिए)
1.	क) जन्म तिथि ख) आयु (जैसा कि वाक इन टेस्ट की तारीख को है वर्ष से अधिक न हो	क) ख)			
2.	शैक्षिक योग्यताएँ	विश्वविद्यालय/ संस्था का नाम	उत्तीरण होने का वर्ष	प्राप्त अंकों के साथ प्राप्त श्रेणी	
3.					

9. अनुभव का विवरण

क्रमांक	अनुभव का क्षेत्र	अनुभव का विवरण		अवधि		दस्तावेज़ संलग्न है (हाँ/नहीं)	सत्यापन (केवल कार्यालय प्रयोजन के लिए)
		धारण किए पद (कर्मचारी)	संस्था का नाम	से- तक	पूरा किए वर्ष एवं महीने		
1							
2							

घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत की गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सच और सही है। मैं समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ कि साक्षात्कार/चयन के पहले या बाद में किसी भी समय उपरोक्त दी गई जानकारी झूठी या गलत/अपूर्ण पाई गई या अपात्रता पाई जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा और मैं स्पाइसेस बोर्ड के निर्णय पर बाध्य रहूँगा/रहूँगी। मैंने उपरोक्त सभी निबंधन और शर्तें पढ़ ली हैं और मैं लिपिकीय सहायक की नियुक्ति के लिए सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर :

नाम: